फर्द अहकाम

( नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती उगमी देवी बनाम बालूलाल गोरा

नम्बर मुकदमा प्रा. पत्र 111/2021 सन 2021

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| -8-21 | वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 7-9-21 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>सहायक कलेक्टर माण्डल | |
| -9-21 | उभय पक्ष उपस्थित ... अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / ... रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-9-21 को पेश हो। विपक्षी-2 की ओर से ... पेश<br>उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |
| 10-22 | पत्रावली कोम्प. के दिया ... को पेश हुई। आगामी दिनांक 21-3-22 को पेश हो। | |
| -2-22 | पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया जिले शा० ... एक प्रति वादिया अधिवक्ता को प० किया जाकर ... उभयपक्षों ने बहस ... की गई। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। ... चाही। ... पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 29-3-22 को पेश हो। | |
| 3-22 | पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा | |

राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस
मुकदमा संख्या – 111/21 प्रा.पत्र
1– श्रीमती उगमी देवी w/o श्री मांगीलाल कुमावत निवासी– छाजेरों का खेड़ा तहसील – माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री बालू लाल s/o श्री पेमा कुमावत निवासी – छाजेरों का खेड़ा तह माण्डल (केरिया)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..........केरिया..........पटवार हल्का..........केरिया..........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न..3550/2841..........कुल किता..........01..........रकबा..........0.5059 हैक्टेयर..........बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ..........10.8.21.......... को पजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादंग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..........केरिया पटवार हल्का..........केरिया..........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 3550/2841 ..........कुल किता..........01..........रकबा..0.5059 हैक्टेयर ..........बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलमास को ..........500/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा